उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विद्यावारिधि (PH.D.) एवं विशिष्टाचार्य (M.PHIL.) {न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया} अध्यादेश

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 इन विनियमों को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) अध्यादेश कहा जायेगा| विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि एम.फिल. का नाम 'विशिष्टाचार्य' होगा, सम्बन्धित प्रमाणपत्र में एम.फिल. भी लिखा जायेगा। इसी प्रकार पीएच.डी. का नाम 'विद्यावारिधि' होगा, सम्बन्धित प्रमाणपत्र में पीएच.डी. भी लिखा जाएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गता किये जाने वाली उपाधि के प्रमाणपत्र में यह भी लिखा जाएगा कि यह उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 यथा प्रतिस्थापित विनियम 2016 एवं यथा संशोधित विनियम 2018 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप है तथा उपाधि में विभाग और संकाय, दोनों का उल्लेख होगा। शोध-विषय यथावत् लिखा जाएगा।

1.2 एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 27 अगस्त 2018 एवं 16 अक्तूबर 2018 को जारी किये गये संशोधन और आगामी तिथियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले संशोधनों को यथा निर्देशित तिथि से इस अध्यादेश का अग स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में प्रभावी माना जायेगा|

2. विशिष्टाचार्य (एम.फिल.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता एवं मानदण्ड

2.1 'विशिष्टाचार्य' (एम.फिल.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा स्थापित और यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त किसी सस्था/विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में आचार्य अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है| जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

2.2 उत्तराखण्ड-निवासी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर लाभान्वित श्रेणी) से सम्बद्ध है अथवा समय-समय पर राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में

18.12.19 18.12.19 18.12.19

(149) (150)

समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक सम्मिलित नहीं हैं।

2.3 स्नातकोत्तर उपाधि की समकक्षता का निर्धारण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

3. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता एवं मानदण्ड

इन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अध्याधीन, निम्नवत् अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं-

3.1 उपरोक्त धारा 2.1 के अन्तर्गत विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर उपाधि धारक।

3.2 एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे, जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच.डी. उपाधि अर्जित कर सकें। उत्तराखण्ड निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) /पृथक् रूप से निःशक्त से सम्बद्ध हैं अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

3.3 विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र/छात्रा, जिसके एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

3.4 अभ्यर्थी जिनके पास भारेतीय संस्थान की एम.फिल. के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान से जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है। जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4. पाठ्यक्रम की अवधि

4.1 एम.फिल. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

4.2 पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

4.3 उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय की सांविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित है।

4.4 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें एम.फिल. में एक वर्ष की तथा पीएच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल/पीएच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश हेतु प्रक्रिया एवं विभागीय शोध समिति

18.12.19 18.12.19 18.12.19

5.1 यह विश्वविद्यालय एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार) के माध्यम से प्रवेश देगा|

5.2.1 प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष अपने विभाग में रिक्त शोध स्थानों की सूचना संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को देंगे। तदनुसार सूचना प्रसारित की जायेगी। प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विषयवार संवितरण, प्रवेश के मानदण्ड, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्था की वेबसाइट तथा कम से कम दो हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी ।

5.2.2 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्तर पर संचालित एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश उपलब्ध कराया जायेगा। जिन छात्रों ने यूजीसी-नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी-सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लैट/गैट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा एम.फिल. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा|

5.2.3 सीटों का आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगा।

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी, जिसमें 50% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है| प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) /पृथक् रूप से निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये अंकों में 5% की छूट (50% के स्थान पर 45%) प्रदान की जायेगी| प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% प्रश्न शोध-पद्धति के तथा 50% प्रश्न आवेदित विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय तथा विवरणात्मक/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे| लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों का पृथक्-पृथक् वरीयता क्रम बनाया जायेगा| तदनन्तर कुलपति द्वारा गठित सक्षम समिति के द्वारा दोनों प्राप्तांकों का योग कर नियमानुसार अन्तिम वरीयता सूची निर्गत की जायेगी| इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी विवरणिका के द्वारा अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व दी जायेगी|

5.4.2 जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो विश्वविद्यालय द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा| अन्तिम चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिये 70% तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन को 30% का महत्त्व दिया जायेगा|

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा में वे छात्र-छात्राएं भी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने स्नातकोत्तर की अन्तिम वर्ष की परीक्षा दी है। ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए साक्षात्कार की तिथि के पूर्व अपनी अर्हता परीक्षा (स्नातकोत्तर में वांछित अंक प्रतिशत के साथ) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लिखित प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा। लिखित प्रवेश-परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उसी सत्र में पंजीकरण करा सकेंगे। प्रवेश पाने में असफल छात्र-छात्राएं पुनः प्रवेशार्थ अगले सत्र में नियमानुसार प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

परीक्षाफल की घोषणा-

लिखित प्रवेश-परीक्षा का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचनापट्ट पर लगाया जायेगा।

प्रवेश-परीक्षा योजना-

विद्यावारिधि लिखित प्रवेश परीक्षा का एक प्रश्न-पत्र होगा, जो दो खण्डों में विभक्त होगा। प्रश्नपत्र के प्रथम खण्ड (क) में शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

18.12.19 18.12.19

प्रश्न पत्र के द्वितीय खण्ड (ख) शोधार्थी के स्नातकोतर विषय से सम्बन्धित होगा, इसके लिए आधार आचार्य/स्नातकोतर परीक्षा के पाठ्यग्रन्थ निर्धारित होंगे। सम्बन्धित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

- परम्परागत विषयों में प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत एवं आधुनिक विषयों में हिन्दी होगी।
- शिकायतों हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा, जिस पर प्रवेश परीक्षा समिति विचार करेगी| उसकी संस्तुति के आधार पर लिया गया निर्णय अन्तिम होगा| नहीं की जाएगी।
- विस्तृत विवरण का उल्लेख विश्वविद्यालय की शोध विवरणिका में किया जायेगा।

विभागीय शोध समिति

विद्यावारिधि में चयन के लिए विभाग स्तर पर साक्षात्कार निम्न समिति द्वारा लिया जाएगा, यही समिति विभागीय शोध समिति कहलाएगी। इसी समिति द्वारा प्री-पीएच.डी. कोर्स के बाद शोध-विषय का निर्धारण भी किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
सम्बन्धित विभाग के सभी आचार्य एवं सह आचार्य	सदस्य
सम्बन्धित विभाग के वे सभी सहायक आचार्य,जो शोध-निर्देशक बनने की अर्हता रखते हैं।	सदस्य
कुलपति द्वारा मनोनीत एक बाह्य विषय-विशेषज्ञ	सदस्य

उपर्युक्त समिति द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच भी की जाएगी।

समिति की स्वीकृति के बाद सभी शोध-शीर्षक विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। किसी शोध-शीर्षक के बारे में, उसे अपलोड किए जाने की तिथि के 15 के दिन के अंदर कोई शिकायत सही पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

5.5 साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में निम्नवत् पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्या

5.5.1 अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है?

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है?

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है?

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर एम.फिल./पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख-रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक/निर्देशक/सह-निर्देशक नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि सम्मिलित होंगे।

6 शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण

शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक/निर्देशक अनुमेय एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि।

6.1 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों/निर्देशकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों/सह-निर्देशकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है। एतदर्थ शोध छात्र को विषय स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा|

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विषेशज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह अनुभव करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक/सह-निर्देशक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक/सह-निर्देशक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

6.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक, सह पर्यवेक्षक/सह-निर्देशक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छह (06) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. और चार (04) पीएच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

6.6 शोध निर्देशक/सह निर्देशक एवं स्वीकृत शोध रूपरेखा/प्रस्ताव में परिवर्तन प्रारम्भिक 06 माह में ही संभव हो सकेगा| कुलपति के अनुमोदन से विभागीय शोध समिति एतदर्थ स्वीकृति प्रदान करेगी|

7. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य : श्रेय, अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

7.1 एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएंगे।

7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को एम.फिल./पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा,

18.12.17 18.12.17

प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।

7.3 एम.फिल. और पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

7.4 ऐसे विभाग जहां विद्वान् अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोध विद्वानों को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप-खण्ड 8.1 में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को विहित करेंगे।

7.5 एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेष प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपक्षित होगा।

7.6 पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच.डी. समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

7.8 किसी एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने होंगे।

प्री-पीएच.डी. के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया-

प्री-पीएच.डी. में सफल शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी तिथि के अनुसार निर्धारित पत्र में अपनी योग्यता एवं अनुसंधेय विषयों का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन-पत्र संबद्ध विभाग में विभागाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा।

आवेदन पत्र के साथ विभागाध्यक्ष को शोध निर्देशक (यदि, कोई निर्धारित किया गया हो) की संस्तुति सहित रूपरेखा की दस प्रतियां (जिसमें अनुसन्धान के अध्ययन का अभिप्राय हो और स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित हो कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उनका मौलिक योगदान होगा, अज्ञात सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा अथवा पहले से ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या की जायेगी) जमा करानी होगी।

इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि को विभागीय शोध समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। विभागीय शोध समिति द्वारा ही शोध-विषय का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जाएगा।

शोध-केन्द्र

सामान्यतः विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग ही शोध-केन्द्र होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति (URDC) विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/ महाविद्यालयों को भी शोध-केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करेगी बशर्ते उस संस्था में स्नातकोत्तर विभाग हो। किन्तु कोर्स वर्क की कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित की जाएंगी।

8. शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्य

8.1 प्रत्येक एम.फिल. और पीएच.डी. शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति गठित की जायेगी।। कुलपति के निर्देशानुसार इस समिति में सम्बन्धित संकायाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष अध्यक्ष होगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (यदि संकायाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष हो तो), सम्बन्धित विभाग के सभी शिक्षक तथा कुलपति द्वारा नामित एक विषय-विशेषज्ञ सदस्य होंगे। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। समन्वयक द्वारा शोध से सम्बन्धित आवश्यक विवरण उचित माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। इस समिति के द्वारा प्रत्येक 06 माह में शोधछात्र के प्रगति-विवरण की समीक्षा की जायेगी। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे -

8.1.1 शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

8.1.2 शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

8.1.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

8.2 शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छह मासिक प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

8.3 यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

9. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

9.1 एम.फिल. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

9.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 7.8 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के अधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक रूपरेखा - शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

9.3 शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी विश्वविद्यालय की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा/रूपरेखा - शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।

9.4 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम.फिल. शोधार्थी किसी विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./आई.सी.पी.आर./अन्य समकक्ष राजकीय संस्थानों द्वारा प्रायोजित सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच.डी. शोधार्थी किसी शोध पत्रिका में न्यूनतम 02 शोधपत्र प्रकाशित करेगा, जिनमें से 01 शोध पत्र अनिवार्य रूप संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व किसी विश्वविद्यालय/यू.जी.सी./आई.सी.पी.आर./अन्य समकक्ष राजकीय

18.12.19 18.12.19

संस्थानों द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

9.5 विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9.6 किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा कम से कम दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय / संबद्ध महाविद्यालय में नियोजित नही हो। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें प्रश्न पुछने का अधिकार नहीं होगा।

9.7 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय / संबद्ध महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है, बशर्ते वह विषय-विशेषज्ञ हो। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक/निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विषेशज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें प्रश्न पुछने का अधिकार नहीं होगा। ।

9.8 शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम.फिल. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

9.9 विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम.फिल. शोध प्रबंध/पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

10 एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

10.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

10.2 इसके लिए सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्धित स्नातकोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालायें तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनमें कम से कम दो पीएच.डी. अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हो तथा साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्रशासनिक एवं शोध संवर्धन सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके साथ साथ महाविद्यालयों को उन संस्थानों से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिये जिनके अधीन वे कार्य करते हैं।

10.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं से युक्त महाविद्यालय ही शोध पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे।

10.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में सम्बन्धित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रगोगशालायें, पर्याप्त स्थान, कम्प्यूटर सुविधायें, अनिवार्य साफ्टवेयर, अबाधित विद्युत तथा जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिये।

10.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई-जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

10.3.3 सम्बन्धित संस्थान आसपास के संस्थानों/प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधायें हैं।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के लिए यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित 'मान्यता-प्रक्रिया' का यथावत पालन किया जाएगा। किसी भी अन्य संस्था को शोध-केंद्र बनाए जाने से पूर्व वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे और शोध-सुविधाओं का गहन आकलन किया जाएगा। सभी अपेक्षित सुविधाओं का सत्यापन कुलपति द्वारा गठित पैनल द्वारा किया जाएगा। इस पैनल में सम्बन्धित विभाग से विभागाध्यक्ष के संयोजकत्व में विभागीय एक शिक्षक और दो बाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाएंगे। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति और विद्या परिषद द्वारा अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी।

11 दूरस्थ शिक्षा पद्धति/अंशकालिक शिक्षा पद्धति से एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि का संचालन

11.1 विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा पद्धति से एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं किया जायेगा।

11.2 अंशकालिक आधार पर शोधार्थी के रूप में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों को विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर सांध्यकालीन उपस्थिति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। हालांकि, इन्हें पंजीकरण से पूर्व विभागीय अनापति प्रस्तुत करनी होगी। **यह ध्यातव्य है कि सान्ध्यकालीन उपस्थिति शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणित स्वीकार्य होगी।**

उपस्थिति-

शोधार्थियों हेतु कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि शोधार्थी का शोध केन्द्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से बाहर है, तो उसे संबंधित स्थान पर नियमित उपस्थित रहकर कार्य करने का प्रमाण देना होगा। उपस्थिति की अनिवार्यता प्रारम्भिक दो वर्षों के लिए लागू होगी। इन दो वर्षों में प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम (कोर्सवर्क) की अवधि भी सम्मिलित होगी।

शुल्क-

विश्वविद्यालय के द्वारा यथानिर्धारित नियमों के अनुरूप शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का उल्लेख विश्वविद्यालय की शोध विवरणिका में किया जायेगा।

विद्यावारिधि एकसत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम (कोर्स-वर्क)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत न्यूनतम मानक व प्रक्रिया विनियम के अनुसार विश्वविद्यालय सभी शोध छात्रों के लिए छह माह का एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करेगा। एम.फिल. तथा पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों नियत समय में प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जायेगा| कोर्स के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

किसी एम.फिल./पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा।

विशेष-

- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- दो अवसरों में उत्तीर्ण न होने पर पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र अलग से प्रदान किया जाएगा।
- एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर ही शोध कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- पीएच.डी. में पंजीकृत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्मिकों के लिए इस पाठ्यक्रम की कक्षाएं दीर्घ-अवकाश के दिनों में संचालित की जाएंगी। इन सभी के लिए भी एक सत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी।
- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स-वर्क) के अंतर्गत शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर से सम्बन्धित कक्षाएं विश्वविद्यालय स्तर पर एकीकृत रूप से संचालित की जाएंगी। जबकि, विषय से सम्बन्धित कक्षाएं विभागों में संचालित की जाएंगी।
- आवश्यकतानुसार सुसंगत विषयों के समूह बनाकर भी कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

शोध प्रबन्ध के लिए अपेक्षाएं

यह एक ऐसा गुण-दोष विवेचित विशिष्ट कार्य होना चाहिए, जिसमें या तो नवीन तथ्यों का अनुसन्धान हो अथवा सैद्धान्तिक तथ्यों की नवीन व्याख्या की गयी हो। उपर्युक्त दोनों बातों में आलोचनात्मक परीक्षण और दृढ़ निर्णय अनुसन्धाता की क्षमता का स्पष्ट सूचक माने जायेंगे।

भाषा और विषय प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भी शोध प्रबन्ध सन्तोषजनक होना चाहिए। भाषा तथा शैली स्पष्ट एवं साहित्यिक होनी चाहिए।

शीर्षक का निर्धारण (शोध समस्या का निर्धारण) -

अप्रकाशित हस्तलेखों के संपादन/समीक्षा विषयक शोध विषय लेने पर शोधार्थी को 'शोध प्रक्रिया विज्ञान' के प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त ज्ञान के अनुकूल मानदण्डों पर कार्य करना होगा। संबद्ध समस्याओं का निराकरण भी इन प्रशिक्षण शिविरों में किया जा सकता है। ये शिविर एक सत्रीय अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

18.12.19

18/12/19

जो शोधार्थी स्वतन्त्र विषय पर कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा सामान्यतः अति-विस्तृत आयाम वाले शीर्षक नही अपनाये जाने चाहिए। शोध-शीर्षक इस प्रकार होने चाहिए कि शोधकर्ता अपने शोध विषय के कुछ विशिष्ट बिन्दुओं एवं समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करके किन्हीं स्पष्ट निर्णयों तक पहुंच सके।

शोध शीर्षक के चुनाव का औचित्य -

शोध छात्र को चाहिये कि वह शोध प्रारूप में शोध शीर्षक के निर्धारण के विषय में विस्तारपूर्वक औचित्य प्रतिपादन करें। शीर्षक में अति या लघु व्याप्ति दोष न हो।

शोध विषय की प्रासंगिकता तथा महत्व -

इस शोध के माध्यम से विषय से संबद्ध ज्ञान के क्षेत्र में, किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है और किन मौलिक विचारों की उद्भावना संभव हो सकती है, इन बिन्दुओं का प्रतिपादन होना आवश्यक है। जहां संभव हो, विषय के वैज्ञानिक तथा सामाजिक महत्व का प्रतिपादन भी होना चाहिए। संभावित उपसंहार का उल्लेख भी किया जाना उचित होगा।

इस विषय पर किये जा चुके अध्ययनों का उल्लेख -

अपने शोध-निर्देशक की सहायता से शोधार्थी, उस विषय तथा उसके संबंधित पक्षों के विषय में हुए अध्ययनों की सामान्य रूप-रेखा प्रस्तुत करेंगे। इस सामान्य निरीक्षण के अन्तर्गत विषय से संबंधित जिन समस्याओं का अध्ययन हो चुका है, जिन पर अध्ययन नहीं हुआ है तथा जिन पक्षों पर अध्ययन किया जाना अपेक्षित है आदि सभी का उल्लेख होना चाहिए। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विषय से संबंधित अध्ययनों में जो निगमन दिखाये गये हैं, वे अपूर्ण हैं तथा शोधार्थी को स्वीकार नहीं हैं, अतः शोधार्थी उन पक्षों पर नई व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता है या अधिक तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करना चाहता है।

शोध का आयाम -

विषय के वर्तमान अध्ययनों तथा विषय की प्रासंगिकता के आलोक में शोधार्थी को संभावित उपसंहार का प्रस्ताव करना चाहिए जिसे वह अपने अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता है। यह संभव है कि उसकी दृष्टि इस संबंध में मात्र संभावना तक सीमित हो, यह भी संभव है कि शोध काल के प्रारूप में प्रदर्शित निर्णयों में शोधार्थी मौलिक परिवर्तन करें। तथापि यह उचित होगा कि अपनी प्राक् अवधारणाओं को शोधार्थी स्पष्टता से प्रस्तुत करें। शोध कार्य का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि शोध छात्र किसी भी विषय पर सही तथा वैज्ञानिक रीति से अनुसन्धान करने तथा तर्कसम्मत निर्णय प्रस्तुत करने की योग्यता अपने अन्दर उत्पन्न कर सके।

शोध प्रबन्ध की संरचना-

शोध प्रबन्ध के संभावित अध्यायों को प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। शोध पूर्ण होने पर उन अध्यायों में परिवर्तन आदि की संभावना भी स्वीकार्य हो सकती है। सामान्यतः अध्यायों का प्रारूप पूर्वकथित महत्व, आयाम, प्रासंगिकता तथा संभावित उपसंहार के आधार पर निर्मित होना चाहिए। अध्यायों के विभाजन में क्रमिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यह क्रमिकता विचारों की प्रस्तुति के क्रम पर भी आधारित हो सकती है।

प्रत्येक अध्याय के संभावित बिन्दुओं को अवश्य लिखा जाना चाहिए, जिससे प्रारूप स्पष्ट हो सके। इसी प्रकार संभावित निर्णयों को बिन्दुशः प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा ना प्रतीत हो कि शोध-सार प्रस्तुत किया जा रहा है।

18.12.15

18.12.15

सन्दर्भ सूची - शोध प्रारूप में सम्बन्धित विषय के प्रमुख ग्रन्थों की एवं प्रमुख शोध लेखों की सूची समुचित रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिसमें प्रकाशन/लेखक/सम्पादक, प्रकाशन स्थान एवं प्रकाशन वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो। सन्दर्भ हमेशा प्रथम या मूल स्रोत से ही लिए जाने चाहिएं।

शोधप्रबन्ध का आन्तरिक स्वरूप -

1. प्रथम पृष्ठ (वि.वि. का नाम, लोगो, शोधार्थी एवं निर्देशक का नाम, विभाग का नाम और वर्ष)
2. शोधार्थी का घोषणा पत्र
3. शोधनिर्देशक का प्रमाण पत्र
4. अनुक्रमणिका
5. ग्रन्थ संक्षेप सूची
6. (क) भूमिका/प्रस्तावना
   (ख) आभार
7. अध्याय (क्रमानुसार)
8. उपसंहार/निष्कर्ष
9. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
10. परिशिष्ट (यदि लागू हो)
11. शोध प्रबन्धप्रबन्ध के बाह्य कलेवर के पार्श्व में लंबाई में शोध शीर्षक एवं वर्ष का उल्लेख

विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति

विश्वविद्यालय में शोध विषयक नियमों, नीतियों, मानकों के निर्धारण तथा शोध कार्यों के नियमन एवं उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग के लिए विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा :-

कुलपति	अध्यक्ष
सभी संकायाध्यक्ष	सदस्य
सभी विभाग अध्यक्ष	सदस्य
सभी आचार्य	सदस्य
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सह आचार्य (एक-एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विश्वविद्यालय का सबसे वरिष्ठ सहायक आचार्य (एक-एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से)	सदस्य
विद्यापरिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
कुलपति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ (जिन विषयों में शोध कराया जा रहा है, उन सभी से एक-एक)	सदस्य
अध्यक्ष, शोध विभाग	सदस्य-सचिव

कुलपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर सकेगा। समिति की बैठक सामान्यतः प्रति छः माह पर होगी, लेकिन कुलपति को आवश्यकतानुसार बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

विशेष निर्देश

शोधार्थी को प्रत्येक तीन माह पर प्रगति विवरण विभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा। निरन्तर तीन त्रैमासिक प्रगति विवरण जमा न करने पर शोध पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके लिए पृथक से कोई सूचना/पत्राचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, किंहीं विशेष परिस्थितियों में अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी आपात परिस्थितियों एवं प्रसूति/मातृत्व के दृष्टिगत विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति शोध कार्य जारी रखने

18.12.19

की अनुमति प्रदान कर सकेगी। किन्तु ऐसे मामलों में शोधार्थी को नौ माह पूर्ण होने से पूर्व ही लिखित प्रार्थनापत्र देना होगा।

शोध-प्रबन्ध की प्रस्तुति-

परम्परागत विषयों में शोध-प्रबन्ध की भाषा संस्कृत होगी, आधुनिक विषयों में संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भी शोधप्रबन्ध जमा किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति विभागीय शोध समिति की संस्तुति तथा शोधार्थी के विशेष अनुरोध पर आधुनिक विषयों में शोधप्रबन्ध की भाषा को परिवर्तित करने की अनुमति दे सकेगी। पंजीकरण के न्यूनतम 36 माह पश्चात् शोधार्थी शोध-प्रबन्ध के शोध सार की प्रस्तुति (प्रजेंटेशन) के लिए सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को शोध निर्देशक की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र देगा। 36 माह की अवधि की गणना प्री-पीएच.डी. में प्रवेश के माह से की जाएगी।

इसी क्रम में विभागाध्यक्ष अधिकतम दो सप्ताह के अन्तर्गत निश्चित तिथि को एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, इस संगोष्ठी में विभागीय शोध समिति द्वारा शोधसार की समीक्षा के पश्चात् शोधप्रबन्ध जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त शोधार्थी को शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की पांच टंकित प्रतियां, दो सीडी एवं विभागीय शोध समिति द्वारा स्वीकृत रूपरेखा भी तीन प्रतियों में शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। इनमें से शोध प्रबन्ध एवं संक्षेपिका की एक-एक प्रति शोध छात्र तथा निर्देशक को प्रदान की जायेगी| एक सीडी शोध विभाग द्वारा एक महीने के भीतर यू.जी.सी. के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। शोध प्रबन्ध का कलेवर सामान्यतः 200 पृष्ठों का होना अनिवार्य होगा। उपाधि प्रदान किए जाने के बाद शोधग्रन्थ की एक प्रति पुस्तकालय एवं एक प्रति सम्बन्धित विभाग को प्रदान की जाएगी।

मौलिकता प्रमाणपत्र-

यह आवश्यक होगा कि शोध समिति द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ही शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किया जाए। सामान्यतः शोधसमिति द्वारा स्वीकृत शोध प्रारूप के अनुरूप ही शोधार्थी को शोधप्रबन्ध तैयार करना होगा। यदि प्रारूप में परिवर्तन किया गया है तो शोध निर्देशक द्वारा कारण सहित विवरण दिया जाना होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभागीय शोध समिति की अनुमति अनिवार्य होगी।

शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य किसी भी संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परीक्षकों की नियुक्ति-

शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की प्रारम्भिक सूची का निर्माण सम्बन्धित शोध निर्देशक द्वारा किया जाएगा। शोध निर्देशक द्वारा प्रस्तावित चार नामों में से दो की कुलपति द्वारा स्वीकृति की जायेगी। कुलपति अपने विवेक से एक अतिरिक्त नाम इस सूची में शामिल कर सकेंगे। सम्बन्धित शोध निर्देशक सहित कुल तीन नामों को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

शोधप्रबन्ध का परीक्षण-

1 निर्धारित शुल्क सहित शोध प्रबन्ध प्राप्त होने पर उसे तीन परीक्षकों के पास भेजा जायेगा। प्रत्येक परीक्षक एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक परीक्षक शोध प्रबन्ध की विशेषताओं के लिए अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी के अतिरिक्त यह स्पष्ट रूपेण प्रकट करेगा कि -

(क) शोध प्रबन्ध विद्यावारिधि की उपाधि हेतु सर्वथा योग्य है।

अथवा

-शोध प्रबन्ध अस्वीकृत किया जाता है। (कारण सहित उल्लेख करना होगा।)

अथवा

-संशोधन की संस्तुति की जाती है।

(ख) शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति की जाती है।

अथवा

-शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की संस्तुति नहीं दी जा सकती है। (कारण सहित उल्लेख करना होगा।)

2 तीन परीक्षकों में से दो परीक्षकों का निर्णय समान होने पर वही निर्णय ग्राह्य होगा।

3 यदि कोई दो परीक्षक शोध-प्रबन्ध के संशोधन का निर्णय देते हैं तो शोधार्थी को शोध-प्रबन्ध में संशोधन के उपरान्त पुनः प्रस्तुत करना होगा।

4 संशोधन की संस्तुति करते समय यह आवश्यक होगा कि परीक्षक संशोधन के लिए अभ्यर्थी के लिए संशोधनीय अंशों का स्पष्ट निर्देश और तथ्यों का उल्लेख करें। अभ्यर्थी को निर्णय की सूचना की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के भीतर परीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शोध प्रबन्ध का संशोधन करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित शोध प्रबन्ध पुनः उन्हीं परीक्षकों के पास भेजा जायेगा।

5 तीन परीक्षकों के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित रूप से परिणाम घोषित किया जायेगा-

- परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा अस्वीकृत तथा 'ग' द्वारा स्वीकृत होने पर शोध-प्रबन्ध स्वीकृत माना जाएगा।
- परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए स्वीकृत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी संशोधन के लिए स्वीकृत होने पर संशोधन हेतु शोध प्रबन्ध शोधार्थी को भेजा जायेगा।
- परीक्षक 'क' द्वारा स्वीकृत, परीक्षक 'ख' द्वारा संशोधन के लिए संस्तुत तथा परीक्षक 'ग' द्वारा अस्वीकृत शोधप्रबन्ध संशोधन के लिए शोधार्थी को भेजा जायेगा।
- परीक्षक 'क' द्वारा अस्वीकृत के लिए संस्तुत, परीक्षक 'ख' संशोधन के लिए संस्तुत, तथा परीक्षक 'ग' द्वारा भी अस्वीकृत के लिए संस्तुत होने पर शोधप्रबन्ध अस्वीकृत माना जायेगा।
- प्रत्येक परीक्षक को 01 महीने के अन्दर मूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी। अधिकतम तीन माह में रिपोर्ट न देने पर परीक्षकत्व स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में नए परीक्षक के पास शोधप्रबन्ध को भेजा जायेगा। यह परीक्षक उन परीक्षकों की सूची में से होगा, जो कुलपति द्वारा संस्तुत की गई है।

मौखिकी या वाक् परीक्षा-

यदि परीक्षक संस्तुति करते हैं कि शोध प्रबन्ध स्वीकार्य है तो शोधार्थी को वाक् परीक्षा के लिए साक्षात्कार मंडल (बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होना होगा। मंडल में दो परीक्षक होंगे, जिनमें एक शोध निर्देशक और दूसरा बाह्य परीक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित परीक्षक होगा, जिसने शोध प्रबन्ध को स्वीकार करने की संस्तुति की हो। वाक्-परीक्षा के समय शोध विभाग शोध-प्रबन्ध के पूर्व प्रतिवेदन के रूप में शोध का विवरण तथा निर्णय साक्षात्कार मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वाक्-परीक्षा के समय विवि के अन्य अध्यापक तथा

शोध-छात्र भी उपस्थित रहकर वाक्-परीक्षा सुन सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। वाक्-परीक्षा परीक्षकों की रिपोर्ट आने के तीन महीने के भीतर संपन्न करानी होगी। परीक्षा विभाग द्वारा शोध प्रबन्ध जमा कराने से वाक् परीक्षा संपन्न कराने तक के कार्य अधिकतम छह महीने में पूरे किए जायेंगे। यदि किसी प्रकरण में दोनों वाक् परीक्षक असन्तुष्ट हैं तो अभ्यर्थी को अधिकतम तीन माह के भीतर पुनः वाक् परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। यदि अभ्यर्थी द्वितीय बार भी वाक् परीक्षकों को सन्तुष्ट नहीं कर सका तो शोध प्रबन्ध अस्वीकृत माना जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय विद्या-परिषद् द्वारा लिया जाएगा। विद्या-परिषद् को सम्बन्धित शोधार्थी को वाक् परीक्षा का एक और अवसर देने का अधिकार होगा।

1. वाक्-परीक्षा का स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय होगा, किन्तु किसी विशिष्ट प्रकरण में कुलपति वाक्-परीक्षा के लिए अन्य स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
2. कोई भी अभ्यर्थी अपने शोध प्रबन्ध को दो बार से अधिक संशोधित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
3. वाक्-परीक्षा के अनन्तर यदि वाक् परीक्षक भी विद्यावारिधि उपाधि प्रदान करने के लिए संस्तुति करते हैं तो सभी सस्तुतियां कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।
4. कुलपति अस्थायी रूप से शोधार्थी को विद्यावारिधि के योग्य घोषित करेंगे।
5. साक्षात्कार बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को 'विद्यावारिधि-उपाधि-योग्य' संस्तुति करने के पश्चात् कुलसचिव एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन, उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोधार्थी द्वारा अपनी थीसिस को यू.जी.सी. के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

परीक्षक की योग्यता-

विद्यावारिधि/पीएच.डी. या समकक्ष शोध-उपाधि प्राप्त सह आचार्य/आचार्य/ऐसे नियमित सहायक आचार्य जो स्नातकोतर स्तर पर न्यूनतम पांच वर्ष का अध्यापन कर चुके हों अथवा सह आचार्य/आचार्य पद से सेवानिवृत्त विद्वान्।

निष्क्रमणनप्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)

अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पंजीकरण से पूर्व अथवा अधिकतम तीन माह के भीतर निष्क्रमण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त हो जायेगा। किन्तु कुलपति इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

18.12.19

18.12.19

18.12.19